

रसीद पुस्तिका नं०

धनबाद नगर निगम

रसीद नं० 1535

पेशाकर वसूली की रसीद

1. मुहल्ला S No Union Club market L.C. Road 2. वार्ड सं० _____

3. अनुज्ञा पत्रधारक की संख्या जो कर पंजी में दर्ज है - DHN

4. अनुज्ञा पत्र धारक का नाम M/S Oriental Constructions
पेशा Constructions से Past-Mamish Kumar Singh, Kuman Kuman Singh

रु० _____ पैसे _____ (250- रुपये पैसे) प्राप्त किया जिसका विवरण निम्नांकित है।

पूर्व बकाया			पिछले वर्ष की राशि		वाढू वर्ष की राशि		योग	
अवधि	राशि		रुपये	पै०	०८-०९		रुपये	पै०
	रुपये	पै०			रुपये	पै०		
					250-		250-	
Rs Two hundred fifty only								

(कुल योग शब्दों में)

तिथि 18-4-08 अनुज्ञा निरीक्षक का जाँच के पश्चात हस्ताक्षर

Sham
तहसीलदार का हस्ताक्षर



**DHANBAD MUNICIPAL CORPORATION
DHANBAD**

धनबाद नगर निगम, धनबाद

Application No.

129

TRADE LICENCE CERTIFICATE

Financial Year 2015-2016



कार्यालय धनबाद नगर निगम, धनबाद

पत्रांक

ध० न० नि०

दिनांक :- 30/11/2015

TRADE LICENCE NO.: 3025000000129

झारखण्ड नगर पालिका अधिनियम २०११ की धारा ४५५ के तहत

श्री **M/S ORIENTAL BUILDERS & DEVELOPERS** पिता/पति का नाम : **TARKESHWAR SINGH**

Manish Kumar Singh

वार्ड सं० 025

मोहल्ला

SARYU APPARTMENT SURYA VIHAR COLONY BARTAND

नगर पालिका क्षेत्रांतर्गत फार्म प्रतिष्ठान का नाम **M/S ORIENTAL BUILDERS & DEVELOPERS**

प्लॉट न०, खाता सं०

धृति संख्या

स्वयं का / भाड़े का

मोहल्ला / बाईलेन **SARYU APPARTMENT SURYA VIHAR COLONY BARTAND**

में अवस्थित भवन में नगर पालिका अधिनियम के अनुसूचि क्रम :

व्यवसाय का नाम **REAL ESTATE**

हेतु

दिनांक :- 30/11/2015

से

31/03/2016

तक के लिए अनुज्ञप्ति दी जाती है।

अनुज्ञप्ति निम्नांकित शर्तों के अधीन दी जाती है।

- 1 अनुज्ञप्ति जिस व्यवसाय के लिए निर्गत की गयी है, वही व्यवसाय चलाया जाना है। यदि परिवर्तन की जाती है तो निगम से पूर्वानुमति आवश्यक है।
- 2 व्यवसाय स्थल का परिवर्तन अथवा वृद्धि की सूचना निगम को देना अनिवार्य है।
- 3 व्यवसाय स्थल अथवा कार्यालय में अनुज्ञप्ति की प्रति प्रदर्शित करनी होगी।
- 4 व्यवसाय बंद करने की सूचना पूर्व में ही देना होगा।
- 5 यदि व्यवसाय की प्रकृति के अनुसार अन्य सम्बंधित विभाग से अनुमति प्राप्त करना है आवश्यक है और तत्संबंधी अनुमति जिस अवधि के लिए प्राप्त है, उसी अवधि के लिए अनुज्ञप्ति मान्य होगा।
- 6 यह अनुज्ञप्ति वितीय वर्ष की समाप्ति पर स्वतः समाप्त हो ऐसे में प्रत्येक वर्ष के अंतिम सप्ताह में अनुज्ञप्ति नवीकरण कराना अनिवार्य है।
- 7 अनुज्ञप्ति अवधि समाप्ति के एक माह पूर्व इसके नवीकरण का आवेदन देना अनिवार्य है।
- 8 नवीकरण में विलम्ब होने पर झारखण्ड नगर पालिका अधिनियम २०११ की धारा ४५५ के अधिन दण्ड देय होगा। अनुज्ञप्ति निस्तारण का अधिकार नगर आयुक्त को सुरक्षित है।



K. S. Singh

निबंधन पदाधिकारी

धनबाद नगर निगम, धनबाद



DHANBAD MUNICIPAL CORPORATION

DHANBAD

कार्यालय धनबाद नगर निगम, धनबाद

अनुज्ञप्ति

झारखण्ड नगरपालिका अधिनियम 2011 की धारा 155 (i) एवं 455 (i) के अंतर्गत

संख्या : 16/17/25002006

दिनांक : 11-05-2016

श्री/श्रीमती **MANISH KUMAR SINGH**

पिता/पति का नाम **SRI TARKESHWAR PRASAD SINGH**

वार्ड नं. **25**

धनबाद नगर निगम क्षेत्रान्तर्गत.

प्रतिष्ठान का नाम **ORIENTAL BUILDER & DEVELOPER**

प्लॉट नं.

गृह संख्या

वार्ड **25**

मुहल्ला / बाईलेन में **SURYA BIHAR COLONY BEHIND C.M.R.I.GATE DHANBAD**

व्यवसाय **SRI TARKESHWAR PRASAD SINGH**

के लिए निर्धारित शुल्क **2500.00/-**

(Two Thousand Five Hundred Rupees)

रु० विविध रसीद सं. **TRN146263973720225**

दिनांक **11-05-2016**

द्वारा प्राप्त कर वर्ष **2016-2017**

के लिए अनुज्ञप्ति प्रदान की जाती है।

अनुज्ञप्ति निम्नांकित शर्तों के अधीन दी जाती है

1. यह अनुज्ञप्ति जिस व्यवसाय के लिए निर्गत की गई है, वही व्यवसाय चलाया जाना है। इसमें यदि परिवर्तन की जाती है, तो निगम से पूर्वानुमति आवश्यक है।
2. व्यवसाय स्थल का परिवर्तन अथवा परिसर वृद्धि की सूचना निगम को देना अनिवार्य है।
3. व्यवसाय बंद करने की सूचना पूर्व में ही देना होगा।
4. यदि व्यवसाय की प्रकृति के अनुसार अन्य संबंधित विभाग से अनुमति प्राप्त करना आवश्यक है और तत्संबंधी अनुमति जिस अवधि के लिए प्राप्त है उसी अवधि तक के लिए अनुज्ञप्ति मान्य होगा।
5. प्रत्येक वर्ष अप्रैल के प्रथम सप्ताह में अनुज्ञप्ति नवीकरण कराना आवश्यक होगा।
6. अनुज्ञप्ति अवधि समाप्ति के एक माह पूर्व इसके नवीकरण का आवेदन देना अनिवार्य है।
7. नवीकरण में विलम्ब होने पर झारखण्ड नगरपालिका अधिनियम 2011 की धारा 459 के अधीन Penalty देय होगा। अनुज्ञप्ति निस्तारण का अधिकार नगर आयुक्त को सुरक्षित है।
8. प्रतिष्ठान के सामने अवैध पार्किंग नहीं होनी चाहिए।
9. निगम द्वारा निर्धारित स्थल पर ही कचरा फेंकना सुनिश्चित करेंगे।

11.5.16
निबंधन पदाधिकारी,
धनबाद नगर निगम,
धनबाद।

ORIENTAL BUILDERS & DEVELOPERS
Manish Kumar Singh
Proprietor